"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2012—माघ 14, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 में, शब्द "या नान ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" के पश्चात् एवं शब्द "सहित" के पूर्व, शब्द "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (रु. 1000 तक के अरेखांकित तथा रु. 1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर" अन्त:स्थापित किये जाएं, एवं शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-उप-मुख्य शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष-(60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष-(118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां," प्रतिस्थापित किए जाएं.

2. नियम 4 में, शब्द "या नान ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" के पश्चात् एवं शब्द "सहित" के पूर्व, शब्द "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (रु. 1000 तक के अरेखांकित तथा रु. 1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर" अन्त:स्थापित किये जाएं, एवं शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-उप-मुख्य शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष-(60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष-(118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां," प्रतिस्थापित किए जाएं.

3. नियम 5 में, शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-उप-मुख्य शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष-(60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष-(118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां" प्रतिस्थापित किए जाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

—00—

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2012

क्रमांक एफ 2–4/2010/1–सूअप्र :::, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22, सन् 2005) की धारा 27 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 3 में, शब्द "या नान ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" के पश्चात् एवं शब्द "सहित" के पूर्व, शब्द "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (₹.1000 तक के अरेखांकित तथा ₹.1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर" अन्तःस्थापित किये जाएं, एवं शब्द "मुख्य शीर्ष–0070–उप–मुख्य शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियॉं" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप–मुख्य शीर्ष–(60)–अन्य सेवायें, लघु शीर्ष–(118)–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियॉं," प्रतिस्थापित किए जाएं।
2. नियम 4 में, शब्द "या नान ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" के पश्चात् एवं शब्द "सहित" के पूर्व, शब्द "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (₹.1000 तक के अरेखांकित तथा ₹.1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर" अन्तःस्थापित किये जाएं, एवं शब्द "मुख्य शीर्ष–0070–उप–मुख्य शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियॉं" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप–मुख्य शीर्ष–(60)–अन्य सेवायें, लघु शीर्ष–(118)–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियॉं," प्रतिस्थापित किए जाएं।
3. नियम 5 में, शब्द "मुख्य शीर्ष–0070–उप–मुख्य शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियॉं" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप–मुख्य शीर्ष (60)–अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियॉं" प्रतिस्थापित किये जाएं ।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

31/1/12

C-3\E:\Kushwaha\Kushwaha Letters\11

पृ0 कमांक एफ 2–4/2010/1–सूअप्र ::: रायपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2012

प्रतिलिपि :–

1. समस्त अपर सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर,
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली,
3. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर
4. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर,
5. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
6. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर ।
8. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
10. समस्त विभागाध्यक्ष छत्तीसगढ़ ।
11. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़ ।
12. आयुक्त, जनसपंर्क संचालनालय ।
13. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
14. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, संसदीय सचिवगण ।
15. मुख्य सचिव के अवर सचिव/स्टॉफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय रायपुर ।
16. नियंत्रक, क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधीसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(1) **इस अधिसूचना द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से शुल्क (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) जमा करने के लिये बजट शीर्ष, उपशीर्ष, लघुशीर्ष, संशोधित किये गये हैं, अतः शुल्क एवं मूल्य विनियमन शुल्क संशोधित शीर्ष के अंतर्गत जमा किये जायें ।**

(2) कृपया अधिसूचना की प्रति समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित की जाकर संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जावे।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
31-1-12

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–1/2008/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल, 2012

प्रति,

शासन के समस्त ,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – आवेदन शुल्क तथा आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए मंत्रालय केन्द्रीय काउंटर पर समय का निर्धारण ।**

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 04.10.2008

–––000–––

इस विभाग के विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र के अनुक्रम में मंत्रालय भवन में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् स्थापित **"केन्द्रीय काउंटर"** पर निम्नानुसार व्यवस्था की जाती हैः–

(1) **आवेदन/अपील/प्रतिलिपि/अवलोकन शुल्क नकद जमा करने का समय प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक नियत किया जाता है ।**

(2) **ऐसे आवेदन पत्र जिनमें आवेदन शुल्क, नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प, इंडियन पोस्टल आर्डर, चालान एवं बैंकर्स चेक संलग्न होगें, उन्हें पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा ।**

2/ उक्त व्यवस्था, पत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी ।

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

19.4.12

पृ. क्र. एफ 2–1/2008/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक अप्रैल, 2012

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, मीरादातार रोड़, निर्मलछाया भवन, शंकरनगर, रायपुर ।
2. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के सामने, कालीबाड़ी, रायपुर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, छ.ग. मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

19.4.12

C-1\E:\San\Letters\349

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन,
रायपुर

—00—

क्रमांक 3110 /जी—1721/2011/1—सूअप्र रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2012

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय :— **सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व—सकिय प्रकटीकरण ।**

संदर्भ :— इस विभाग का पत्र कमांक एफ 7—6/2005/1/6, दिनांक 16.09.2005, दिनांक 07.11.2005 एवं 18.11.2011

—000—

इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय के विभागीय मैनुअल पीडीएफ फारमेट में तैयार करके शासन की वेबसाइड पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिये गये है, ताकि शासन के समस्त कार्यालयों द्वारा जारी नियम/निर्देशों की जानकारी/सूचना सीधे आम जनता/पणधारियों (Stakeholders) को स्व—सकिय प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) के रूप में प्राप्त हो सके ।

2/ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—4 (1) (क) (ख) में निहित प्रावधान अधिनियम के अधिनियमन से 120 दिन के भीतर समस्त विभाग/लोक प्राधिकरण कम्प्यूट्रीकृत कर इंटरनेट पर अपने विभागों की वेबसाईट में प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन भी करेगा । इस संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली का कार्यालय ज्ञापन कमांक 12/192/2009—आई.आर., दिनांक 20.01.2010 एवं पत्र कमांक 13/8/2012 —आई.आर., दिनांक 28.08.2012 की छायाप्रति संलग्न है ।

3/ प्रायः देखा गया है कि राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों को लागू कराने हेतु उपर्युक्त संदर्भित निर्देशों का पालन विभागों द्वारा कड़ाई से सुनिश्चित नही किया जा रहा है ।

निरंतर. 2

4/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित परिपत्रों में दिए गए निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 (1) (क) (ख) में निहित प्रावधान एवं भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापनों में दिए गए निर्देशों के तहत रिकार्डो/दस्तावेजों का रख–रखाव/जानकारी का इंटरनेट स्व–सक्रिय प्रकटीकरण हेतु प्रत्येक विभाग, अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों तथा उनके अंतर्गत निगम, मंडल, अधिकरणों एवं एन.जी.ओ. की जानकारी एवं मैनुअल इत्यादि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को तत्काल उपलब्ध कराते हुए विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें इस संबंध में जनहित याचिका कमांक 35/2012 राजकुमार मिश्रा विरूद्ध मुख्य राज्य सूचना आयुक्त एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर की गई है । अतः इसे विशेष प्राथमिकता देते हुए विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराई गई अद्यतन जानकारी की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(आर.सी.सिन्हा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक 3111/जी–1721/2011/1–सूअप्र
रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन कमांक स. 12/ 192 /2009–आई.आर., दिनांक 20.01.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड शंकर नगर, रायपुर ।
3. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के पास, रायपुर ।
4. समस्त संभागायुक्त ।
5. समस्त कलेक्टर ।
6. प्रशिक्षण संचालक, छ.ग. शासन, प्रशासन अकादमी,इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर ।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, रायपुर ।
8. स्टॉक पंजी ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सं. 12/192/2009-आई.आर

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 20 जनवरी, 2010.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुरूप रिकॉर्डों का रखरखाव ।

केन्द्रीय सूचना आयोग ने एक मामले में कहा है कि रिकॉर्डों के सुव्यवस्थित ढंग से रखरखाव के अभाव में लोक सूचना अधिकारी अधूरी और भ्रामक सूचना दे देते हैं । ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोक प्राधिकरण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(क) का पालन नहीं करते । अधिनियम के इस प्रावधान में प्रत्येक लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने रिकॉर्डों को विधिवत् सूचीबद्ध करें और वे इनको ऐसे रूप में निर्देशिका (इंडेक्स) बनाएं कि सूचना का अधिकार सुकर बने । आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी त्रुटि के लिए सम्बद्ध लोक प्राधिकरण को, शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ सकता है । स्मरणीय है कि अधिनियम की धारा 19(8)(ख) आयोग को सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों से शिकायतकर्ता को किसी नुकसान अथवा अन्य क्षति की प्रतिपूर्ति करने की शक्ति प्रदान करती है ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की सफलता के लिए रिकॉर्डों का उचित रखरखाव महत्वपूर्ण है किन्तु इस विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के बावजूद बहुत-से लोक प्राधिकरणों ने इस विषय पर उचित ध्यान नहीं दिया है । मुझे, सभी मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि वे अपने अधीन सभी लोक प्राधिकरणों को अविलंब अधिनियम की धारा 4 की अपेक्षाओं का और खास तौर से धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) का पालन करने का निदेश दें ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092158.

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग ।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।

प्रति: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को ।

24.08.2012

Court- Case
Immediate

No. 3036 /CS/2012/GOI
Date 29/08/12

No. 13/8/2012-IR
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pension
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated 28.08.2012.

To,

The Chief Secretary
Govt. of Chhattisgarh,
D.K.S. Bhawan,
Mantralay,
Raipur
Fax no 0771-2221206

Subject: WP (PIL) No.35 /2012 in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur; Raj Kumar Mishra vs. UOI (as respondent no. 3) & Ors.

30 AUG 2012

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of the above quoted PIL and to say that this Department vide its OM dated 20.01.2010 have already issued instructions to all Ministries/Department etc. to direct all public authorities under them for strict compliance of the provisions mandated under section 4 of the RTI Act, 2005. Further, it was decided to set up a Task Force to review the provisions regarding *suo moto* disclosure given in Section 4 of the RTI Act, 2005 and submit its report after consultations with other Ministries, State Governments, CIC, SICs and also with other NGOs to recommend measure for its better implementation and enforcement. A note for consideration by Committee of Secretaries (CoS) has been sent to Cabinet on 10th July, 2012. The meeting of CoS is to be held on 14.09.2012.

2. It is therefore, requested that the State Government may defend the case and also protects the interests of UOI. This Department may be kept informed of the development in the case.

Encl: As above.

29 AUG 2012
Dep. GAD (S)
Dep. R.T.I.

Yours sincerely,

(R.K. Girdhar)
Under Secretary to the Govt. of India
Telefax: 23093022

Copy to:

The Deputy Registrar, High Court of Chhattisgarh at Bilaspur w.r.t. Notice dated 04.08.2012 for information. [Kind Attention - Sh. Brajesh Mishra, Deputy Registrar]
Fax no 077-52-226030.

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 7–6/2005/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर, 2012

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कियान्वयन ।**
संदर्भः– इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 7–6/2006/1/6, दिनांक 07.11.2005 ।

––––00––––

इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा ऐसे गैर सरकारी संगठन को निर्देश दिए गए है जिन्हें शासन से पिछले वित्तीय वर्ष में रूपये 2.00 लाख तक की वार्षिक वित्तीय सहायता मिली हो, अथवा उनके कुल वार्षिक आवर्त (Turn-over) का 25 प्रतिशत शासकीय वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त हुआ है, ऐसे सभी गैर सरकारी संगठनों पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होगा ।

2/ ऐसे सभी लोक प्राधिकारियों को अपने कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत एवं उक्त श्रेणी में आने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची का स्वयं प्रकटीकरण (Pro-active Disclosure) करें (छायाप्रति संलग्न) ।

3/ प्रायः देखा गया है कि राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों को लागू कराने हेतु उपर्युक्त संदर्भित निर्देशों का पालन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कड़ाई से सुनिश्चित नहीं किया जा रहा हैं ।

4/ सभी लोक अधिकारियों से पुनः अनुरोध है, कि वे अपने कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत् एवं उक्त श्रेणी में आने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची एवं निष्पादित कार्य, योजनाओं का आय–व्यय ब्योरे के साथ अपने विभाग की वेबसाइट पर स्वयं प्रगटीकरण हेतु जानकारी राज्य सूचना केन्द्र (NIC) को भेजकर अपलोड करायें तथा भेजी गई जानकारी की एक प्रति PDF फारमेट में CD के साथ सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) को भी उपलब्ध करावें एवं उक्त जानकारी को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करावें ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

(जी.आर.चुरेन्द्र)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

05.10.12

.....निरंतर

पृ0 क्रमांक एफ 7–6/2005/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड शंकर नगर, रायपुर ।
2. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के पास, रायपुर ।
3. समस्त संभागायुक्त ।
4. समस्त कलेक्टर ।
5. प्रशिक्षण संचालक, छ.ग. शासन, प्रशासन अकादमी, इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, रायपुर की ओर RTI की वेबसाईट पर कृपया अपलोड करावे ।
7. स्टॉक पंजी ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
29.10.12

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 7–6/2005/1/6 रायपुर दिनॉक 07/11/2005

प्रति,

1 समस्त विभाग/ विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

2 समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का कियान्वयन ।

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा –2 उपधारा (डी) अनुसार लोक प्राधिकारी की परिभाषा में गैर सरकारी संगठन का भी समावेश है। अतएव स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे गैर सरकारी संगठन जिन्हें शासन से पिछले वित्तीय वर्ष में रुपये 2.00 लाख तक की वार्षिक वित्तीय सहायता मिली हो,अथवा उनके कुल वार्षिक आवर्त (Turn -over) का 25 प्रतिशत शासकीय वित्तीय सहायता के रुप में हुआ है, ऐसे सभी गैर सरकारी संगठनों पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 लागू होगा।

सभी लोक प्राधिकारियों से विनती है कि अपने कार्यालय अंतर्गत कार्यरत एवं उक्त श्रेणी में आने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची का स्वयं प्रकटीकरण (Pro-active Disclosure) करें ।

(नन्द कुमार)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 1–1/2011/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

Sub :- Suo motu disclosure on official tours of Ministers and other officials .

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/8/2012–आईआर, दिनांक 11.09.2012 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

(जी.आर.चुरेन्द्र)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
11.10.12

पृ0 क्रमांक एफ 1–1/2011/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि :–

1. श्री संदीप जैन, उपसचिव, भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/8/2012–आईआर, दिनांक 11.09.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड शंकर नगर, रायपुर ।
3. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के पास, रायपुर ।
4. समस्त संभागायुक्त ।
5. समस्त कलेक्टर ।
6. प्रशिक्षण संचालक, छ.ग. शासन, प्रशासन अकादमी, इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर ।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, रायपुर को RTI की वेबसाइट में अपलोड करायें ।
8. स्टॉक पंजी ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
11.10.12

C-3\E:\Kushwaha\Orders\35

No. 3335/CS/2012/GOI
Date 22 SEP 2012

167

F. No. 1/ 8/2012-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

आवक क्रमांक 4333
/स.मा.प.वि./2012
दिनांक 25-9-2012

North Block, New Delhi
Dated: 11th September, 2012

Office Memorandum

Sub: Suo motu disclosure on official tours of Ministers and other officials.

Sub-Section (2) of Section 4 of the RTI Act, 2005 requires every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause (*b*) of sub-section (*1*) to provide as much information *suo motu* to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that the public have minimum resort to use the Act to obtain information.

2. It has been brought to the notice of this Department that public authorities are receiving RTI applications frequently asking for details of the official tours undertaken by Ministers and other officials of the Ministries/Departments concerned. In compliance with the provisions of Section 4 of the RTI Act, 2005, it is advised that Public Authorities may proactively disclose the details of foreign and domestic official tours undertaken by Minister(s) and officials of the rank of Joint Secretary to the Government of India and above and Heads of Departments, since 1st January, 2012. The disclosures may be updated once every quarter starting from 1st July, 2012.

3. Information to be disclosed proactively may contain nature of the official tour, places visited, the period, number of people included in the official delegation and total cost of such travel undertaken. Exemptions under Section 8 of the RTI Act, 2005 may be taken in view while disclosing the information. These advisory would not apply to security and intelligence organisations under the second schedule of the RTI Act, 2005 and CVOs of public authorities.

4. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned.

(Sandeep Jain)
Deputy Secretary
Tele: 23092755

22 SEP 2012
Secy, GAD(P)/ Secy, R.T.I.

1. All the Ministries / Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission/Lok Sabha Sectt./Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.
3. Central Information Commission.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers/Desks/Sections, of DOP&T, Department of Pension & Pensioners Welfare and Department of Administrative Reforms and Public Grievances.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड–492002

——00——

क्रमांक 3818 /जी–1721/2011/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर, 2012

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व–सक्रिय प्रकटीकरण ।

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 3110/जी–1721/2011/1–सूअप्र, दिनांक 13.09.2012,

——000——

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन हो । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय के विभागीय मैनुअल एवं सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 (1)(क)(ख) में निहित प्रावधान के तहत जानकारी पीडीएफ फारमेट में तैयार करके अपने विभाग की वेबसाइड पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देशित कर, अद्यतन जानकारी से इस विभाग को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है ।

2/ कृपया चाहे अनुसार जानकारी इस विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक 3819 /जी–1721/2011/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक स.12/192/2009–आई.आर., दिनांक 20.01.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड शंकर नगर, रायपुर ।
3. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के पास, रायपुर ।
4. समस्त संभागायुक्त ।

C-3\E \Kushwaha\Kushwaha Letters\442

5. समस्त कलेक्टर ।
6. प्रशिक्षण संचालक, छ.ग. शासन, प्रशासन अकादमी,इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर ।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, रायपुर ।
8. स्टॉक पंजी ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
22/11/12

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

—00—

क्रमांक 4000/जी–1418/2012/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 के संबंध में जनहित याचिका क्रमांक WP (PIL) 35/2012 में (मान. उच्च न्यायालय छ.ग). द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2012 के अनुपालन बाबत् ।

—000—

विषयांतर्गत श्री राजकुमार मिश्रा विरूद्ध मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य के मामले में मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2012 की प्रति संलग्न प्रेषित है ।

2/ मान. उच्च न्यायालय द्वारा शासन को दिशा–निर्देश दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के अंतर्गत छः माह के भीतर समस्त विभाग अपनी–अपनी जानकारियॉ अपने विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करायें ।

3/ मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कृपया तीन माह के अंदर ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के प्रावधानानुसार विभाग की सभी जानकारियॉ अपने विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु, पीडीएफ फारमेट में सी.डी. सहित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) मंत्रालय, नया रायपुर, महानदी भवन को भेजे, तथा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराई गई जानकारी की हार्ड एवं साफ्ट कापी इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(डॉ.बी.एल. अग्रवाल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Division Bench (5)

IN THE HIGH COURT OF C.G. AT BILASPUR

WP (PIL) D.B. NO. 35 OF 2012

In re- (सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(ब) में प्रवधान किया गया है कि इसके लागु होने के 120 दिनों के भीतर भारत सरकार व सभी राज्यों के समस्त विभाग अपनी-अपनी जानकारियां प्रकाशित/वेबसाईट पर डालेगें। उक्त अधिनियम के इस धारा का पालन समुचित रूप से केन्द्र सरकार या राज्य द्वारा नही किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने हेतु मैं यह जनहित याचिका प्रस्तुत कर रहा हूँ।)

आवेदक/जनहित याचिकाकर्त्ताः-राजकुमार मिश्रा आ0-स्व0 गणेश प्रसाद मिश्रा, उम्र करीब-42 वर्ष, निवासी-हल्दीबाड़ी, चिरमिरी थाना-चिरमिरी तह0- खड़गवां जिला-कोरिया (छ0ग0)

विरूद्ध

R.No. WP (PIL) 35/12
Presented by Shri R.K. Mishra
Dated 23-7-12

अनावेदक/उत्तरवादीगणः-

1. श्रीमान् मुख्य राज्य सूचना आयुक्त, द्वारा- सचिव राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़, शंकर नगर रायपुर छ0ग0।
2. छ0ग0 शासन, द्वारा- मुख्य सचिव डी.के.एस. भवन मंत्रालय रायपुर छ0ग0।
3. भारत संध द्वारा-सयुक्त सचिव (के.), कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय नार्थ ब्लाक नई दिल्ली।

जनहित याचिका अर्न्तगत-भारत का संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत्, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(ब) में निहित प्रवधान का उत्तरवादीगण द्वारा पालन नही करने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने बावत्

1. PARTICULARS OF THE PETITIONER

इस जनहित याचिका में उपर दर्ज है।

COPYING FEES ONLY
COPYING FEES ONLY

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

D.B.: Hon'ble Mr. Justice Abhay Manohar Sapre &
Hon'ble Mr. Justice G. Minhajuddin

WP (PIL) No.35 of 2012

APPLICANTS Rajkumar Mishra

Versus

RESPONDENTS Chief State Information Commissioner and others

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Appearance :

Petitioner -Rajkumar Mishra appears in person.
Mr. Shyam Tekchandani, Counsel for respondent No.1.
Mr. MPS Bhatia, Dy. Government Advocate for the State/respondent No.2
Mr. Vivek Shrivastava, Counsel for respondent No.3.

Copy of

ORAL ORDER
(24.09.2012)

The following order of the Court was passed by **Abhay Manohar Sapre, J.**

Heard.

(2) The writ petitioner claims to be a socially spirited person. He has filed this writ petition under Article 226 and 227 of the Constitution of India invoking our extra ordinary jurisdiction of PIL with the grievance that though Right To Information Act (for short called "the Act") was enacted and brought into force long back in operation for the benefit of the public at large but so far several benefits which are provided to the public by Section 4, are not yet made

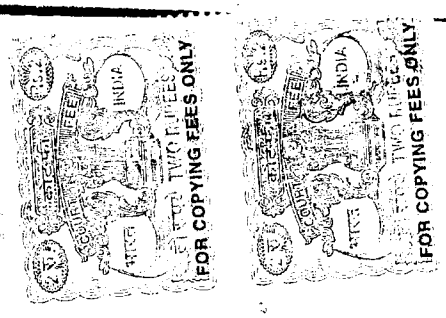

available to the public at large.. He complains that there are several modes prescribed in Section 4 which enables the public at large to have an access to any information but only few of them are made available till date. He also complains that though the Act has fixed the time limit for providing these modes for the benefit of the public which too has expired, yet no steps have been taken by the respondent – State (concerned authorities) till date to ensure that all the facilities are made available to the public.

(3) It is essentially with this grievance and the back ground, the writ petitioner has filed this writ petition invoking our extra ordinary jurisdiction of "PIL" for issuance of appropriate writ, direction, against the respondents for a direction to them to ensure strict compliance of the provisions of the Act in question and in particular the provisions of Section 4 and make them fully operational by providing all modes and benefits contained therein for the benefit of the public at large.

(4) Notice of this writ petition was served on the respondent- State. They are served and duly represented through their lawyer.

(5) Learned Counsel appearing for the respondent – Chief Information Commission, Shri Tekchandani at the out set in reply to the grievance raised by the writ petitioner stated that respondent (State) has taken several steps in this direction so far to ensure implementation of the provisions of the Act including the facilities provided in Section 4 for the benefit of public at large but due to myriad reasons beyond their control, remaining work could not be completed in time and which according to him, is now towards its completion in coming few months. He has also shown to us one circular issued by the respondents which

mentions the steps so far taken by the State and to be taken in the form of the instructions issued for its completion. He submits that to complete the necessary work, some more time is required and for that he prays for six months.

(6) Having heard the learned counsel for the parties and on perusal of the record of the case and taking into consideration, the statement made by the learned counsel for the respondents, we do not consider it necessary to embark upon the merits and demerits of the issue sought to be raised by the writ petitioner in this writ petition and in the light of the statement made by the respondents at the bar through their counsel, we dispose of this writ petition finally with a direction to the respondents that all the necessary formalities which the respondents are required to undertake for providing facilitates as per Section 4 of the Act be completed within a period of six months.

(7) It is with these directions, this writ petition stands finally disposed of.

(8) No cost.

Sd/-
Abhay Manohar Sapre
Judge

Sd/-
G. Minhajuddin
Judge

[redacted]shyna

d. No. 42155/12

(1) Application received on	5/9/12
(2) Applicant told to appear on	29/9/12
(3) Applicant appeared on	5/10/12
(4) Application (With or without further or correct particulars) sent to record-room	25/9/12
(5) Application received from record-room with record or without record for further or correct particulars on	3/10/12
(6) Applicant given notice for further or correct particulars on	—
(7) Applicant given notice for further funds on	—
(8) Notice in column (6) or (7) complied with on	—
(9) Copy ready on	/10/12
(10) Copy delivered or sent on	/10/12
(11) Court-fee realised	8

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर